

प्रारूप-छ (संतप्रक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/113938/GND/GONDA/295/CFO

दिनांक : 08-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **MAHARISHI VIDYA MANDIR** पता **0, JANKI NAGAR, GONDA** तहसील - **GONDA** प्लाट एरिया **10116.27 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2880** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
MAHARISHI VIDYA MANDIR A and B BLOCK	3	0	12 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **MAHARISHI VIDYA MANDIR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तसंबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **11-04-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAVI ASTHANA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **11-04-2024** से **11-04-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **MAHARISHI VIDYA MANDIR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **MAHARISHI VIDYA MANDIR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन द्वितीय अधिकारी प्रभारी अग्निशमन केन्द्र गोण्डा द्वारा प्रेषित की गयी निरीक्षण आख्यानानुसार प्रश्रगत भवन में वांछित अग्निशमन व्यवस्था पायी गयी। विद्युत विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त भवन में 02 ब्लॉक ए और बी है। जिनका संयुक्त क्षेत्रफल आवेदक के द्वारा लिखित रूप में दिया गया है। जो कि ज्वाइंट रिपोर्ट में अपलोड किया गया है। शासनादेश संख्या-187/छ-पु0-8/2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक-07.01.2022 के अनुसार निर्गत किया जाता है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAM SUMER TRIPATHI

E5FFA95F2AC6533B5C595FFP38553967669706DC

11-04-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **11-04-2024**स्थान : **GONDA**

Note:- Kindly check the authentication of NDC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.